

-185-

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी-3/17/1/3/2010

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बावत।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञाप क्र. सी-3/4/1/3/06, दिनांक 18.08.2008. एवं
समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2011

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 13.12.2001 के पश्चात् दिवंगत हुए शासकीय सेवकों के परिवार के पात्रता रखने वाले ऐसे आवेदक जिन्हें 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है के प्रकरणों पर कार्यवाही किए जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण उक्त परिपत्र के पैरा-2 में किया गया है। कतिपय विभागों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के पैरा-2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन केवल उन्ही प्रकरणों में किया जाना है जिनमें प्रक्रिया में विलंब होने के कारण 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है और अब नवीन आवेदन पत्रों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाना है अथवा अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों में उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

संज्ञा/44
16-3-2011

संज्ञा-4

संज्ञा-4

51
14/3/11

2/ उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के पैरा-2 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-4/1/3/06 दिनांक 18 अगस्त 2008 की कड़िका-5.1 में रु. 3500-5200 तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में ज्ञापन दिनांक 18 अगस्त 2008 के पैरा-9 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक-सी-3/17/1/3/2010

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2011

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

-187-

1/3/11

14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।



(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


सि.प्र.प्र.प.
सम.प्र.प.
10/3/11

01
11/3

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/59 भोपाल,दिनांक 18 मार्च 2011
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर,इन्दौर,भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य,शासकीय तत्त्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय,शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर,भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर,भोपाल रीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश